

फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी :- श्री देवीसिंह

किस्म मुकदमा - हकरसी

विपक्षी :- श्री वाला

पत्रावली संख्या : 20/23

क्रमांक

कार्यवाही विवरण

हस्ताक्षर पाटी
तथा सूचनाएं
जारी की गई

दिनांक : 23.08.2023

पत्रावली प्रार्थी द्वारा उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र आदेश 21 नियम 11 जा. दी. का प्रस्तुत करने पर दर्ज रजिस्टर की गई। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार मावली को लिखा जाकर पत्रावली वास्ते देखने पालना रिपोर्ट दिनांक 18.09.2023 को पेश हों।

18/9/23

पत्रावली पेश 20/11/23 वकील प्रार्थी/अपीलाण्ट/
प्रतिवादी/विपक्षी/रस्यो उपस्थित/पीठासीन
अधिकारी महो.आज अवकाश/भ्रमण/मिटिंग
में पधारें है। पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में
दिनांक 20/11/23 को पेश हो

20/11/23

पत्रावली पेश 20/11/23 वकील प्रार्थी/अपीलाण्ट/
प्रतिवादी/विपक्षी/रस्यो उपस्थित/पीठासीन
अधिकारी महो.आज अवकाश/भ्रमण/मिटिंग
में पधारें है। पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में
दिनांक 20/11/23 को पेश हो

20/10/24

आज दिनांक की वार एरोरिफेशन माय
ने कार्य स्थगित करने का अनुरोध किया
अतः पत्रावली पूर्व आदेशनुसार दिनांक
06/05/24 को पेश हो।

6/5/24

वकील प्रार्थी/अपीलाण्ट/उपस्थित/पीठासीन
अधिकारी महो.आज अवकाश/भ्रमण/मिटिंग
में पधारें है। अतः पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में
प्रवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 26/1/24 को पेश हो।

20/1/24

पत्रावली पेश 20/1/24 वकील प्रार्थी/अपीलाण्ट/
प्रतिवादी/विपक्षी/रस्यो उपस्थित/पीठासीन
अधिकारी महो.आज अवकाश/भ्रमण/मिटिंग
में पधारें है। पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में
दिनांक 26/1/24 को पेश हो

SDO मावली



26/7/24
पत्रावली पेश सु. वकील प्राथी/अपीलाण्ट,
प्रतिवादी/विपक्षी/रस्यो उपस्थित/पीठासीन
अधिकारी महो. आज अवकाश/भ्रमण/मिटिंग
में पधारें है। पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में
पंक... 21/9/24 को पेश हो

6/9/24
बंकुलाय वादी/प्रतिवादी उः पालना रिपोर्ट
के लिये मौका चाहते है। अतः मांग
अवसर दिया जाकर पत्रावली दि० 27/9/24
को पेश हो।

(SDO) मावली

27/9/24
पत्रावली पेश सु. वकील प्राथी/अपीलाण्ट,
प्रतिवादी/विपक्षी/रस्यो उपस्थित/पीठासीन
अधिकारी महो. आज अवकाश/भ्रमण/मिटिंग
में पधारें है। पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में
पंक... 6/11/24 को पेश हो

06/11/24
पत्रावली पेश हुई। आधिकारिता डिप्टीदार
उपस्थित। तहसीलदार मावली से रिपोर्ट प्राप्त
श्री. फा. रहे। तहसीलदार मावली द्वारा रिपोर्ट
पेश कर उक्त डिप्टी की पालना नामान्तरकरण
संख्या 454 से करना बताया। अतः उक्त
डिप्टी की पालना हो जाने से अब इस पत्रावली
में कोई कार्यवाही बंध नहीं रहती है। अतः
उक्त पत्रावली को इसी स्तर पर छोड़ दिया गया
जाता है। पत्रावली फैसल शुमार लेकर नम्बर से
कम हो।

निर्णय और इजलास सुनाया गया।



सहायक वलक्टर
(SDO) मावली